सप्तदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–16 मंगलवार, दिनांक–25 मार्च, 2025 ई०।

माननीय अध्यक्ष, श्री नन्द किशोर यादव की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11.00 बजे पूर्वा० से 12:14 बजे अप० तक

[1] प्रश्नकाल :–

(i) 02 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।

(ii) 01 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ।

(iii) 21 तारांकित प्रश्न उत्तरित।

(iv) 02 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।

(v) 110 तारांकित प्रश्न अनागत।

तारांकित प्रश्न संख्या–2066 के लिए माननीय मंत्री द्वारा समय की मांग की गई।

तारांकित प्रश्न संख्या–2067 नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानांतरित एवं स्थगित।

[2] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :–

(i) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सम्राट चौधरी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021–22 के प्रतिवेदन ''निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा–सिविल'' एवं 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023–24 के प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खण्ड–1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' को माननीय राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखा गया।

(ii) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सम्राट चौधरी द्वारा प्रस्ताव किया कि ''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021–22 के प्रतिवेदन ''निष्पादन एवं अनुपालन लेखा सिविल'' एवं 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023–24 के प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खण्ड–1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।''

इस प्रस्ताव पर सदन की सहमति हुई।

[3] कार्य स्थगन प्रस्ताव :–

माननीय सदस्य, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री अजय कुमार, श्रीमती अनिता देवी, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, श्रीमती मंजु अग्रवाल, श्री महा नंद सिंह, श्री महबूब आलम, श्री ऋषि कुमार, श्री मुहम्मद इजहार असफी, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री रणविजय साहू, श्री सत्यदेव राम, श्री छोटे लाल राय, श्री रामबली सिंह यादव, श्री अजीत कुमार सिंह, श्रीमती रेखा देवी, श्री शमीम अहमद, श्री राजवंशी महतो, श्री मुकेश कुमार रौशन, श्री विजय कुमार, श्री निरंजन राय एवं श्री विनय कुमार द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य करने की घोषणा की गयी। परन्तु आसन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव को पढ़ा गया।

[4] शून्यकाल :–

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :–

(i) श्रीमती विभा देवी
(ii) श्रीमती अनिता देवी
(iii) श्रीमती मंजु अग्रवाल
(iv) श्री अशोक कुमार सिंह
(v) श्री ललन कुमार
(vi) श्री अरूण कुमार सिंह

विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए। आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया गया। माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सरकार की तरफ से संबंधित मामले पर वस्तुस्थिति स्पष्ट किया गया। परन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही 02:00 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 02:41 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[5] विधायी कार्य :–

राजकीय विधेयक

"बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2025"

माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, डॉ० सुनील कुमार द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया।

माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहिन द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आसन द्वारा उनका नाम पुकारा गया परन्तु माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा दिये गए सभी संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। तदुपरान्त बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2025 सदन से स्वीकृत हुआ।

"बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025"

माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग डॉ० प्रेम कुमार द्वारा सदन के अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आसन द्वारा उनका नाम पुकारा गया परन्तु माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा दिये गए सभी संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 सदन से स्वीकृत हुआ।

राजकीय संकल्प :–

माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, डॉ० सुनील कुमार द्वारा प्रस्ताव किया गया कि ये सभा संकल्प लेती है कि "भारत के संविधान के अनुच्छेद–252 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह सभा संकल्प लेती है कि संसद द्वारा यथा अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 (2024 का 5वाँ) ठीक उसी रूप में बिहार राज्य में भी लागू करने के निमित्त अंगीकार किया जाय, जो राज्य द्वारा अधिसूचित तिथि के प्रभाव से सम्पूर्ण बिहार में लागू हो।"

ये प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

[6] निवेदन :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 47 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेगें।

तत्पश्चात् सभा की बैठक बुधवार, दिनांक–26 मार्च, 2025 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–25.03.2025

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।